HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1644/2026

Deepak Bawariya @ Kochya S/o Shri Ramkaran @ Karan Bawariya, Aged About 25 Years, R/o Sector 35, Ramsingh Colony, Pratap Nagar, Police Station Pratap Nagar, Jaipur (At Preesent Confined In Central Jail Jaipur District Jaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Lakhan Singh Tomar
For Respondent(s)	:	Mr. Vivek Chaudhary, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

09/04/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– आमेर, जिला– जयपुर शहर (उत्तर) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 166/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 16.12.2025 को पुलिस द्वारा एक अन्य प्रकरण में जेल में होने पर प्रोडक्शन वारंट से अभिरक्षा में लिया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त की निशादेही से कोई चोरी का माल बरामद नहीं हुआ है, चोरी का माल अन्य सहअभियुक्त से बरामद हुआ है। उनका तर्क है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के संदर्भ में इसी थाने में दर्ज एक अन्य एफआईआर संख्या 176/2024 में प्रार्थी/अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया गया था, परंतु तत्समय प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं लिया गया। प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त एक अभ्यस्त अपराधी है और उसके विरुद्ध पूर्व में कुल 30 प्रकरण विभिन्न अपराधों के अंतर्गत पंजीबद्ध हो चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त को यदि जमानत का लाभ दिया जाता है, तो उसके पुनः अपराध में संबद्ध होने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं अभियोग पत्र का अवलोकन किया गया।

अभियोग पत्र के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि प्रकरण में अन्य सहअभियुक्त रामफूल से चोरी का माल बरामद होना पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार का कोई चोरी का माल बरामद नहीं हुआ है, मात्र घटनास्थल की तस्दीक उसके द्वारा कराई गई है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सारभूत साक्ष्य प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.12.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **दीपक बावरिया उर्फ कोच्या पुत्र रामकरण उर्फ करण बावरिया** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो संबंधित थानाधिकारी के माध्यम से प्रार्थी/अभियुक्त व उसके प्रतिभू के

वर्तमान पते सत्यापित करने के उपरांत प्रार्थी/अभियुक्त को अविलम्ब निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः–

1. जमानत पर आजाद होने के 7 दिवस के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त अपना वर्तमान पता एवं मोबाइल नंबर, जो वह उपयोग में ले रहा है, उसका विवरण संबंधित थानाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व संबंधित थानाधिकारी उक्त पते व मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपने वर्तमान पते व मोबाइल नंबर में कोई परिवर्तन करता है, तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रभाव से संबंधित थानाधिकारी एवं संबंधित न्यायालय को देगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 7 व 31 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 10